



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 2018-आषाढ़ 29, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरी 12वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम अंग्रेजी लिपी में SURBHI MALI अंकित हो गया है जो कि सही नहीं है. मेरा सही नाम अंग्रेजी लिपी में SURABHI MALI है. अंकसूची में यही नाम दर्ज करवाना चाहती हूँ. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(सुरभि माली)

SURBHI MALI

(286-बी.)

नया नाम :

(सुरभि माली)

SURABHI MALI

पता—ग्राम पोस्ट बैरागढ़ कलाँ,

नियर सरोज मेमोरियल स्कूल,

भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा पुरानी पुलिस लाइन मकान नं. 70 है. जिसका नाम परिवर्तन कर प्रवीण शर्मा के स्थान पर आर्यन शर्मा संबोधित किया जाये तथा आर्यन शर्मा के नाम से जाना जाये. मेरा अब समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों विभागों इत्यादि में आर्यन शर्मा अंकित करेंगे तथा पूर्व में प्रवीण शर्मा के नाम से जो भी दस्तावेज हैं. उन्हें आर्यन शर्मा के नाम से परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जाये.

रमेश मिश्रा,

(एडवोकेट).

73, राजेश्वरी रोड “जगदीश निवास”

शिवपुरी (म.प्र.).

(288-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार लोकवानी, पता 236, संत गोविन्दराम मिनी कॉलोनी, प्रभु नगर ईदगाह हिल्स भोपाल, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम मूलचन्द लोकवानी था. अतः आज से मेरा नाम जहाँ भी मूलचन्द लिखा हो, उसके स्थान पर रमेश कुमार लोकवानी पढ़ा जावे, समझा जावे व माना जावे.

पुराना नाम :

(मूलचन्द लोकवानी)

(289-बी.)

नया नाम :

(रमेश कुमार लोकवानी)

नाम परिवर्तन

मैं, आंचल लोकवानी, पता 236, संत गोविन्दराम मिनी कॉलोनी, प्रभु नगर ईदगाह हिल्स भोपाल, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम तरूण तोलानी था. अतः आज से मेरा नाम जहाँ भी तरूण तोलानी लिखा हो, उसके स्थान पर आंचल लोकवानी पढ़ा जावे, समझा जावे व माना जावे.

पुराना नाम :

(तरूण तोलानी)

(290-बी.)

नया नाम :

(आंचल लोकवानी)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का नाम असीम मिश्रा पुत्र श्री सोमेश मिश्रा था. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में मेरा नाम यश मिश्रा पुत्र श्री सोमेश मिश्रा है. अतः मुझे यश मिश्रा के नाम से पढ़ा एवं जाना-पहचाना जावे. असीम मिश्रा तथा यश मिश्रा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं.

पुराना नाम :

(असीम मिश्रा)

(291-बी.)

नया नाम :

(यश मिश्रा)

पुत्र श्री सोमेश मिश्रा,
निवासी-जी-8, चम्बल कॉलोनी,
थाटीपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूरा नाम नवीन पटेल पुत्र दशरथ पटेल है किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम केवल नवीन ही लिखा हुआ है. अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड सहित सभी जगह मेरे पुत्र को उसके पूरे नाम (उपनाम सहित) नवीन पटेल से ही लिखा व पढ़ा जावे.

दशरथ पटेल,

(पिता)

(292-बी.)

ग्राम-रंधनखेड़ी, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूरा नाम अर्पीत पटेल पुत्र दशरथ पटेल है किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र का नाम केवल अर्पीत ही लिखा हुआ है. अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड सहित सभी जगह मेरे पुत्र को उसके पूरे नाम (उपनाम सहित) अर्पीत पटेल से ही लिखा व पढ़ा जावे.

दशरथ पटेल,

(पिता)

(293-बी.)

ग्राम-रंधनखेड़ी, जिला देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मैं पूर्व में दीपिका उईके नाम से जानी-पहचानी जाती थी, किन्तु आज दिनांक के पश्चात् मैं मेरे समस्त शैक्षणिक, सामाजिक, विधिक व अन्य समस्त संव्यवहारों में मेरे नये नाम "दीपिका सिंह" से जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(दीपिका उईके)

(302-बी.)

नया नाम :

(दीपिका सिंह)

91-ए, गिरधर नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रेशमा तिकी अंकित है, विवाहोपरांत मुझे रेशमा कुजूर पत्नी श्री अर्पित कुजूर के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में रेशमा कुजूर पढ़ा जावे एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रेशमा तिकी)
(294-बी.)

नया नाम :
(रेशमा कुजूर)
निवासी-म. नं. 4, कम्फर्ट पार्क,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश माधवराव देशमुख पिता माधवराव देशमुख यह सूचित करता हूँ कि 11वीं की अंकसूची में मेरा नाम रमेश कुमार एवं एम. कॉम. की अंकसूची में मेरा नाम रमेश कुमार देशमुख लिखा है. जबकि मेरा सही नाम रमेश माधवराव देशमुख है जो मेरे पेन कार्ड, बैंक खाते एवं सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज है. अतः मेरे नाम को रमेश माधवराव देशमुख ही पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :
(रमेश कुमार एवं रमेश कुमार देशमुख)
पुत्र माधवराव देशमुख.
(295-बी.)

नया नाम :
(रमेश माधवराव देशमुख)
पुत्र माधवराव देशमुख,
निवासी—एच.आई.जी. फ्लैट नं. 602,
सी-ब्लॉक-1, रीगल टाउन, अवधपुरी,
खजुरी कलां, भोपाल.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गेंदा कुमारी पत्नी श्री इन्द्रवीर सिंह तोमर एवं समस्त सरकारी कागजातों में भी मेरा नाम गेंदा कुमारी लिखा हुआ है और एल. आई. सी. की पॉलिस नं. 200241436 में भूलवश मेरा नाम गेंदादेवी लिख दिया जबकि मैं श्रीमती गेंदा कुमारी के नाम से जानी जाती हूँ और भविष्य में भी मुझे गेंदा कुमारी पत्नी श्री इन्द्रवीर सिंह तोमर के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :
(गेंदादेवी)
(296-बी.)

नया नाम :
(गेंदा कुमारी)
पत्नी श्री इन्द्रवीर सिंह तोमर,
निवासी—रचना नगर, भिण्ड रोड,
गोला का मंदिर, ग्वालियर.

आम सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार कपिल पाल पुत्र श्री मोहन लाल पाल, निवासी खुर्जे वाला मोहल्ला राजश्री अपार्टमेंट के पास दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर के हैं मेरे पक्षकार की पुत्री कु. प्रियल पाल के पूर्व दस्तावेजों में पुत्री का नाम प्रियल बघेले अंकित है, जबकि मेरी पक्षकार की पुत्री का सही नाम कु. प्रियल पाल है. भविष्य में मेरी पक्षकार की पुत्री का नाम प्रियल पाल पुत्री श्री कपिल पाल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जावेगी.

अतः आम व खास सूचित हों.

(303-बी.)

द्वारा-अभिभाषक,
विनोद श्रीवास्तव,
(एडवोकेट).

CHANGE OF NAME

I, declare that before My Name was Pal Singh Mutneja. I have changed My Name as Pal Singh Mutneja to Mahendra Pal Singh Mutneja. In future I will be known as New Name Mahendra Pal Singh Mutneja.

Old Name:
(PAL SINGH MUTNEJA)
(304-B.)

New Name :
(MAHENDRA PAL SINGH MUTNEJA)
Address—63, Vishnupuri NX,
Indore (M.P.).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म रामचन्द्र बट्टीप्रसाद गौर रघुनाथ गंज, कटनी (म.प्र.) के भागीदार श्री राजेश जैन आत्मज श्री रतन चन्द जैन एवं श्री राकेश गौतम आत्मज श्री आनन्दीलाल गौतम दिनांक 27-03-2018 से फर्म में भागीदार बनाये गये हैं एवं श्री हरदवारी लाल शर्मा आत्मज स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल शर्मा एवं श्री राम नरेश स्वामी आत्मज स्वर्गीय श्री राम प्रसाद स्वामी फर्म से दिनांक 27-03-2018 से निवृत्त (मुक्त) हुये।

फर्म—रामचन्द्र बट्टीप्रसाद गौर,

श्याम सुन्दर शर्मा,

(पार्टनर).

(297-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजमार्ग बिल्डर्स एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुना स्थित 15-बी, पंचायत भवन, प्रथम तल, ए. बी. रोड, गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/00049/09, दिनांक 16-07-2009 है। जिसमें दिनांक 01-10-2017 से (1) सरोज रघुवंशी पत्नी श्री ब्रजेश रघुवंशी, निवासी एच. आई. जी. 31, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुना, (2) अभिजीत सिंह रघुवंशी पुत्र श्री ब्रजेश सिंह रघुवंशी, निवासी एच. आई. जी. 31, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुना (3) मनीष रघुवंशी पुत्र श्री सरदार सिंह रघुवंशी, निवासी सीताराम कॉलोनी, गुना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—मैसर्स राजमार्ग बिल्डर्स एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर,

ब्रजेश सिंह रघुवंशी,

(भागीदार).

गुना.

(298-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म पॉजीटिव लाइफ ग्रुप फर्म एवं सोसायटी संभाग, जबलपुर के अंतर्गत स्वर की धारा-58(1) के तहत दिनांक 28-10-2016 से रजिस्टर्ड फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/01/0173/16 है। जिसमें पार्टनर के रूप में संजय सोनी व राजेश सोनी रजिस्टर्ड पार्टनर हैं। उक्त फर्म के नाम में दिनांक 25-06-2018 से परिवर्तन किया गया है। जिसके अंतर्गत उक्त फर्म का नवीन नाम स्वस्तिक ग्रुप रखा गया है। अतः उक्त फर्म को आज के बाद स्वस्तिक ग्रुप के नाम से ही जाना जायेगा। इसके अलावा सभी नियम व शर्तें पूर्व की पार्टनरशिप डीड के अनुरूप ही रहेंगी। उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो कृपया 7 दिवस के भीतर हमारे रजिस्टर्ड कार्यालय डी-8, आर्बन, जिला तिलहरी, जबलपुर में सूचित करें।

पॉजीटिव लाइफ ग्रुप,

संजय सोनी,

(पार्टनर).

(299-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मन्नत इन्टरप्राइजेज स्थित 20, जी. एस. पाठक नियर यूनियन बैंक, जीवाजीगंज, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00077/13, दिनांक 12-08-2013 है। जिसमें दिनांक 02-05-2018 को भागीदार श्री वीरेन्द्र भार्गव पुत्र स्व. श्री भागीरथ प्रसाद भार्गव अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 02-05-2018 से राकेश चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री सदानन्द चतुर्वेदी, निवासी नाका चन्द्रबदनी, लशकर, ग्वालियर एवं अनुराग तिवारी पुत्र श्री दिलीप तिवारी, निवासी डी-104, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मन्नत इन्टरप्राइजेजस,

उदय पाठक,

(भागीदार)

ग्वालियर.

(300-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बालाजी सर्विसेज फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0058/15, दिनांक 31-07-2015 है, इसमें फर्म की संरचना में परिवर्तन किया गया है। जिसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन कर विक्रय एवं कलपुर्जे विक्रय करना है। यदि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति हो तो नीचे दिये गये नंबर पर संपर्क करें।

महेश तिवारी,

पिता बट्टीप्रसाद तिवारी,

पता:- 12, रामपुरा वार्ड, सागर (म.प्र.).

(306-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स ऋषि कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय का पता-09-बी, इन्द्रपुरी, भोपाल हेतु साझेदारी दिनांक 18-07-1996 अन्तर्गत श्री के. आर. भारद्वाज वल्द श्री पी. सी. भारद्वाज जी दिनांक 11-02-2016 तक साझेदार रह कर अपने

कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे. यह कि श्री के. आर. भारद्वाज जी का देहान्त दिनांक 11-02-2016 को भोपाल में हो चुका है तथा जिसके बाद स्व. के. आर. भारद्वाज जी के समस्त परिवार एवं शेष सदस्यों की पूर्ण स्वीकृति के आधार पर उनके बड़े पुत्र श्री रोहन भारद्वाज वल्द स्व. श्री के. आर. भारद्वाज, निवासी 3/82, छत्रसाल नगर, फेस-2, नरेला शंकर, भोपाल का नाम स्व. श्री के. आर. भारद्वाज जी के स्थान पर सम्मिलित किया जाकर. फर्म के पंजीयन रिकार्ड में दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है. अतः फर्म द्वारा यह आम सूचना सर्व-साधारण को सूचनाार्थ हेतु प्रकाशित की गई.

(305-बी.)

मैसर्स ऋषि कन्स्ट्रक्शन्स,

विनिता भार्गव,

9-बी, इन्द्रपुरी, भोपाल (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE**Notification U/S. 72 of the Indian Partnership Act, 1932**

This is to notify that Smt. Sangeeta Atul Kumar Agrawal retired from the partnership firm M/s Ravi Warehousing 110, R.N.T. Marg, Indore (M.P.) w.e.f. 01-04-2017 and Smt. Chandani Amal Agrawal have been admitted as a partner in the said partnership firm w.e.f 01-04-2017.

The constitution of the firm's stand's altered accordingly.

Partner's Name—

1. Ashok Kumar Agrawal, 2. Madhu Agrawal, 3. AmalAgrawal, 4. Chandni Agrawal.

For-M/s Ravi Warehousing,

Sd. ASHOK KUMARAGRAWAL,

(301-B.)

(Partner).

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, निवासी -57, महादेव तोतला नगर, भिचौली रोड, इन्दौर द्वारा श्री दिगम्बर जैन, सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, पता उदय नगर, इन्दौर 101, श्रीमंगल नगर, बिचौली रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री दिगम्बर जैन, सर्वोदय धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास”.
पता	:	उदय नगर, इन्दौर 101, श्रीमंगल नगर, बिचौली रोड, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,10,732/- (अक्षरी ग्यारह लाख दस हजार सात सौ बत्तीस मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	1,32,52,965/- (अक्षरी एक करोड़ बत्तीस लाख बाबन हजार नौ सौ पैसठ मात्र) है.

आज दिनांक 10 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(715)

शालिनी श्रीवास्तव,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगौन

चराई प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2018 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र रोपण का प्रकार	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
(हेक्टेयर में)				
वर्ष 2014				
1.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड़	70.000
2.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	गवला	40.000
3.	बिस्तान	मिश्रित वृक्षारोपण	तलघर	30.000
4.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	चिरीया	50.000
5.	बिस्तान	बांस रोपण	चरीपुरा	50.000
6.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	50.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	50.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	40.000
9.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	100.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	80.000
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	75.000
12.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	25.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेड़ा	30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	50.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	60.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	50.000
17.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	30.000
18.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	60.000
19.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	100.000
20.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	60.000
21.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	रुपगढ़	90.000
22.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	60.000
23.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ	30.000
24.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	100.000
25.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	80.000
36.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	120.000
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	80.000
38.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	40.000
39.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	90.000
40.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	75.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
41.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1147 100.000
42.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 120.000
43.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	458 150.000
44.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 40.000
47.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1105 80.000
48.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबेडी	586 30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 30.000
50.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 90.000
51.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पीपलझोपा	629 50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	644 60.000
53.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	700 60.000
54.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1050 60.000
55.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 86.000
56.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 17.000
57.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1067 80.000
58.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1021 80.000
59.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031 25.000
60.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000 105.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 30.000
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	975 30.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968 50.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्देल	961 50.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर खुर्द	988 50.000
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 30.000
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745 90.000
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	747 20.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	947 50.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडी खुर्द	711 50.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड	722 25.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडी खुर्द	709 100.000
73.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 50.000
74.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888 15.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 15.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	787 40.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	788 30.000
79.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605 50.000
80.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1093 60.000

वर्ष 2015

1.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण		1002 50.000
2.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		915 50.000
3.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		734 50.000
4.	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण		1042 25.000
5.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण		1057 50.000
6.	बिस्टान	बांस रोपण		657 100.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण		598 25.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण		579 50.000
9.	भीकनगांव	बांस रोपण		1009 50.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411 100.000
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440 60.000
12.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157 100.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096 30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	553 30.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	585 30.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1110 20.000
17.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोअरअम्बा	1130 30.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	475 60.000
19.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485 50.000
20.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492 40.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515 60.000
22.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536 80.000
23.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617 40.000
24.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
25.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663 60.000
26.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	484 95.000
27.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	928 40.000
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	923 90.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रानिया	910 120.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	760 150.000
31.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863 30.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857 30.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	802 30.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806 30.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोखाल	833 30.000
36.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038 120.000
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084 80.000
38.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421 40.000
39.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135 90.000
40.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408 75.000
41.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1147 100.000
42.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 120.000
43.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	458 150.000
44.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 50.000
47.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
48.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546 30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 50.000
50.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587 30.000
51.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630 150.000
53.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652 25.000
54.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701 50.000
55.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022 50.000
56.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1032 90.000
57.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037 110.000
58.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 50.000
59.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 30.000
60.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068 110.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008 75.000
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015 50.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 25.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोडिया	1000 150.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझरकपासी	968 140.000
66.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976 40.000
67.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961 40.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711 15.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722 25.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 90.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745 45.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748 40.000
73.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939 25.000
74.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955 50.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 40.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888 14.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 11.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
79.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789 30.000
80.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788 40.000
81.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन योजना	कुन्दा	605 60.000
82.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन योजना	अनेर	1092 30.000

वर्ष 2016

1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411 100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440 80.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157 100.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096 30.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	हाथीगुडिया	553 30.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	कुम्हारबेडी	585 30.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	रूलीबड	1110 20.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	उमरिया	1130 30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476 60.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485 50.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492 40.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515 60.00
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536 80.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617 40.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663 60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	674 50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	689 70.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	930 60.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	927 40.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रान्या	910 30.000
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	761 50.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863 35.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857 50.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	808 35.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806 38.000
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833 30.000
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038 90.000
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084 40.000
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421 60.000
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135 90.000
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408 60.000
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमाल्यापानी	1148 100.000
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 75.000
35.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	459 100.000
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 50.000
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ	512 40.000
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546 30.000
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 50.000
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587 30.000
42.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 50.000
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630 150.000
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652 25.000
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701 50.000
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022 50.000
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुल्टान	1032 90.000
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037 110.000
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 50.000
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 30.000
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068 110.000
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008 75.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015 50.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 25.000
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000 150.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968 140.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976 40.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961 40.000
59.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711 15.000
60.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722 25.000
61.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 90.000
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	माण्डवा	745 45.000
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748 40.000
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939 25.000
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955 50.000
66.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 40.000
67.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888 14.000
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 11.000
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789 30.000
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788 40.000
72.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605 60.000
73.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1092 30.000
74.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण		970 50.000
75.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		915 50.000
76.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		734 50.000
77.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण		1042 25.000
78.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण		1062 50.000
79.	भीकनगांव	बांस रोपण		951 50.000
80.	बिस्टान	बांस रोपण		657 100.000
81.	सिरवेल	बांस रोपण		598 25.000
82.	सिरवेल	बांस रोपण		579 50.000

वर्ष 2017

1.	बरूड़	बांस रोपण	जलालाबाद	426 100.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444 80.00
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158 70.00
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1097 50.00
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	555 35.00
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	589 30.00
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1111 25.00
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1131 30.00
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476 60.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
10.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	मुवासमाल	486 60.00
11.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	499 60.00
12.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	516 80.00
13.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	534 100.00
14.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	572 70.00
15.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	653 50.00
16.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	664 50.00
17.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	675 60.00
18.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	690 100.00
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	931 30.00
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	929 40.00
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोदरान्या	912 90.00
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	764 50.00
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	867 70.00
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	873 40.00
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	809 60.00
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	828 100.00
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	634 80.00
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	दसनावल	1039 15.00
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	तलकपुरा	1076 95.00
30.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	महादेवपडावा	423 80.00
31.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जलालाबाद	1136 80.00
32.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बीजागढ़	409 75.00
33.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	आमाल्यापानी	1149 30.00
34.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवनल्या	448 70.00
35.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सेमल्यापडावा	462 50.00
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मोहनपुरा	1115 40.00
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	झामटा	1129 40.00
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रूपगढ़	513 25.00
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सिरवेल	547 30.00
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पलासखूंट	579 25.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
41.	सिरखेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	कुम्हारबैडी	590 30.00
42.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	काबरी	478 70.00
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पिपलझोपा	631 100.00
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवझिरी	681 40.00
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जामुनपाटी	702 50.00
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुराला	1023 110.00
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुल्ठान	1032 12.00
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चंदनपुरी	1045 60.00
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चिचलाय	1060 110.00
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सावदा	1055 50.00
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	डोलानी	1069 80.00
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पाडल्या	1009 70.00
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रतनपुर	1016 100.00
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पोखरखुर्द	997 110.00
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रोड़िया	1001 25.00
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	कांझरकपासी	969 90.00
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पत्थरवाडा	977 30.00
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पिपल्या	953 20.00
59.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सुन्दैल	963 15.00
60.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	घोडीखुर्द	712 30.00
61.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चिरीया	752 25.00
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सपाटिया	730 90.00
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मोरदड	723 20.00
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	नहालदरी	901 40.00
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बेरछा	956 10.00
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	अंबाडोचर	940 20.00
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मांडवा	745 40.00
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चौपाली	774 40.00
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बोरवाल	837 80.00
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पलासपानी	865 80.00
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सत्तापिपरी	823 80.00

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
72.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना गुवाडा	790	80.00
73.	बिस्टान	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त राजमली	607	50.00
74.	सिरवेल	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त पलासखुंट	599	30.00
75.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण --	1078	50.00
76.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण --	1026	50.00
77.	बिस्टान	मिश्रित वृक्षारोपण --	649	50.00
78.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण --	966	50.00
79.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण --	999	50.00
80.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण --	915	50.00
81.	कसरावद	बांस वृक्षारोपण --	1062	50.00
82.	तितरान्या	बांस वृक्षारोपण --	906	25.00

वर्ष 2018

1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार जलालाबाद	426	100.00
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार लिपनी	444	80.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार नांगलवाडी	1158	70.000
4.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार प्लासपाली	867	70.000
5.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार गाडग्याम	873	40.000
6.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार सतताली	809	61.000
7.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार बेरवाल	834	80.000
8.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास रुपगढ़	513	25.000
9.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास सिरवेल	547	25.000
10.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास पलासखूट	579	25.000
11.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास कुम्हारबडी	590	25.000
12.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास पिपलझोपा	631	85.000
13.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास पाडल्या	1009	50.000
14.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास पोखरखुर्द	997	50.000
15.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास सातपाटी	730	90.000
16.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास बेरछा	956	10.000
17.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास चौपाली	774	40.000
18.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास बोरवाल	837	80.000
19.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास पलासपानी	865	60.000

1	2	3	4	5
				(हेक्टेयर में)
20.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	823 80.000
21.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	790 45.000
22.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	803 59.100
23.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1081 40.000
24.	बरूड	मिश्रित वृक्षारोपण	पिपल्याबावडी	459 50.000
25.	कसरावद	सागोन वृक्षारोपण	चिचलाय	1063 50.000

वर्ष 2018

1.	बरूड	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	426 100.00
2.	बरूड	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444 80.000
3.	बरूड	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158 70.000
4.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	प्लासपाली	867 70.000
5.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	873 40.000
6.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सतताली	809 61.000
7.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बेरवाल	834 80.000
8.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रुपगढ़	513 25.000
9.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	547 25.000
10.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूट	579 25.000
11.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबर्डी	590 25.000
12.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	631 85.000
13.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1009 50.000
14.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखरखुर्द	997 50.000
15.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सातपाटी	730 90.000
16.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	956 10.000
17.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	774 40.000
18.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	837 80.000
19.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	865 60.000
20.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	823 80.000
21.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	790 45.000
22.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	803 59.100
23.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1081 40.000
24.	बरूड	मिश्रित वृक्षारोपण	पिपल्याबावडी	459 50.000
25.	कसरावद	सागोन वृक्षारोपण	चिचलाय	1063 50.000

महेन्द्रसिंह सिसोदिया,

वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समितियां, जिला डिण्डोरी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 “सी” के अंतर्गत]

यह कि समस्त संबंधितों को इस सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी के द्वारा सहकारी संस्थाओं के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक/दिनांक द्वारा निम्न समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	बहु उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. लाखों	50/13-06-2019	238/23-03-2018
2.	जीवन सुधारो साख सह. समिति, जुनवानी	58/14-03-2014	593/24-12-2019
3.	जागृति मत्स्य सह. समिति, बरगी	29/07-10-2009	377/11-07-2016

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है, तो वह अपने दावे सूचना पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है. संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा. दावा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डोरी में मुझ परिसमापक को संबंधित समितियों के दस्तावेज/ प्रमाण सहित लेखी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह सूचना आज दिनांक 28 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(692)

पी. सी. गवले,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./18/क्यू.—निम्नांकित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा	1048/27-01-2017	1903/22-12-2017
2.	यशोदा बायोप्लास्टिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर	1068/31-01-2017	1961/30-12-1217

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 16 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(693)

डी. के. दुबे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 12 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./18/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	उदयगिरि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., विदिशा	297/30-01-1987	486/05-06-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरारिया	736/17-09-2008	691/23-05-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भाटनी	709/04-05-2005	692/23-05-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौरासा	380/26-09-1991	264/23-03-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कईया	399/15-10-1991	264/23-05-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आसट	441/22-05-1992	264/23-05-2015
7.	मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या. विदिशा	130/21-03-1967	1969/30-12-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह क अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 12 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(694)

जी. के. पंजाबी,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहाकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कृषि विभाग कर्म. साख. सह. सं. मर्या., ग्यारसपुर	1052/27-01-2017	1962/30-12-2017
2.	एस.एम. व्हाईटल साख सह. सं. मर्या., विदिशा	1064/31-01-2017	1963/30-12-2017
3.	उत्थान स्वास्थ्य कर्म. साख. सह. सं. मर्या., विदिशा	1062/31-01-2017	1948/30-12-2017
4.	सांची बीज उत्पादक सह. सं. मर्या., धतूरिया	970/11-11-2014	1890/20-12-2017
5.	चेतना महिला साख सह. सं. मर्या., हैदरगढ़	1051/27-01-2017	1929/23-12-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(695)

के. सी. यादव,
सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी

लटेरी, दिनांक 02 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.—निम्नलिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा कर मुझे धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री सद्गुरु महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सद्गुरु नगर तह. लटेरी.	781/09-06-2011	1088/21-11-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे। यदि 60 दिवस के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(696)

अरविंद रघुवंशी
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जीवन श्री स्वास्थ्य कर्मचारी साख सह. संस्था मर्यादित., नटेरन.	1084/31-01-2017	1924/23-12-2017

1	2	3	4
2.	पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था. मर्यादित., नटेरन	1083/31-01-2017	1934/23-12-2017
3.	जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित., नटेरन	1078/31-01-2017	1932/23-12-2017
4.	आंगनबाड़ी साख सहकारी संस्था मर्यादित., जौहद	1085/31-01-2017	1933/23-12-1217

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अनिल अहिरवार,
उप-अंकेक्षक.

(697)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./18/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कुमुदनी म.साख सह. स., टीलाखेडी	1061/30-01-2017	1905/22-12-2017
2.	माँ वैष्णों महिला साख. स. स., सिरोंज	1080/31-01-2017	1920/23-12-1217
3.	स्टार महिला साख. स. स., सिरोंज	1054/27-01-2017	1922/23-12-2017
4.	नारी शक्ति साख. स.स. महू., सिरोंज	1081/31-01-2017	1921/23-12-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 03 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर.एस.राज,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(698)

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 11 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में

लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सर्वोदय विक्रेता साख. सह. संस्था. मर्या., विदिशा	1059/28-01-2017	1966/30-12-2017
2.	बंधुत्व साख. सह. संस्था. मर्या., विदिशा	1087/31-01-2017	1916/23-12-1217

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंधित लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(699)

राम सिंह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थायें, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 08 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./18/क्यू.—निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक व दिनांक द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख. सहकारी संस्था. मर्यादित., पौआनाला.	1057/28-01-2017	1968/30-12-2017
2.	श्री आदर्श साख. सहकारी संस्था. मर्यादित., विदिशा	1072/31-01-2017	1967/30-12-1217

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबंधित लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 08 जनवरी 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(700)

के.एम. अग्रवाल,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी नटेरन, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 13 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./18/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन

में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्यादित., वर्धा.	926/07-07-2014	1970/30-12-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों की एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 23 मार्च 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(701)

एम.एस. भदौरिया,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 22 जून, 2018

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

पत्रकार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने में असफल रही है. संस्था के सदस्यों के द्वारा लिखित में भी संस्था का निर्वाचन न कराने एवं संस्था को परिसमापन में लिए जाने हेतु आवेदन-पत्र निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दिनांक 07 जून, 2018 प्रस्तुत किया है.

अतः उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, पत्रकार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी.एस./559/01 जुलाई, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत संस्था द्वारा निर्वाचन दिनांक 07 जून, 2018 को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 22 जून, 2018 को जारी करता हूँ.

(706)

विदिशा, दिनांक 08 जून, 2018

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1136.—कार्यालय में प्रस्तुत अभिलेख अनुसार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा में कुल 137, सदस्य होना बताया

गया है, जिसमें से आवर्ती सदस्य संख्या 01 एवं सावधि निक्षेप संख्या-09 है, 02 सदस्यों से राशि 1.94 अंकित की गई है। संस्था के पंजीयन के समय 03 माह के लिए नामांकित संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। मात्र 01 सदस्य श्री गजेन्द्र सेन द्वारा ही समिति के संचालन हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था के संचालन में सदस्यों की रूचि नहीं है तथा संस्था का गठन श्री गजेन्द्र सेन द्वारा अपने निहित उद्देश्यों के लिए किया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसी प्रकार संस्था के पत्र क्रमांक/निर्वाचन/2017,02, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के संलग्न पत्र में अस्थायी रूप से 68 सदस्य होने का उल्लेख किया गया है, तथा इस पत्र में संस्था द्वारा बैंकिंग व्यवसाय नहीं किए जाने का लेख किया गया है, जबकि संस्था द्वारा रेकरिंग एवं सावधि जमा भी स्वीकार की जा रही है। संचालक मण्डल उपविधि क्रमांक 41 का पालन करने में असमर्थ रहा है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी.एस./1013/30 जून, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 08 जून, 2018 को जारी करता हूँ।

ए. के. सिंह,

उप-पंजीयक.

(707)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

सखी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 13 मार्च, 2001 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 1249/08 फरवरी, 2018 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन दिनांक 31 मार्च, 2018 अनुसार संस्था विगत वर्षों से बंद है। संस्था को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं। संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1275, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सखी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 13 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(702)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुधवास पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 6402/29 दिसम्बर, 2017 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन दिनांक 09 फरवरी, 2018 अनुसार संस्था विगत वर्षों से बंद है। संस्था को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं। संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं है ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1276, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुधवास पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 02 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(703)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इकलेरा (सतवास) पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 है, संस्था के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक 2240/09 फरवरी, 2018 से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी के आवेदन अनुसार संस्था अध्यक्ष एवं सचिव पर चर्चा उपरांत संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं लेना बताया है। संस्था में वर्तमान में कोई कर्मचारी भी कार्यरत नहीं हैं ऐसी स्थिति में संस्था के द्वितीय चक्र के निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील हैं जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1278, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इकलेरा (सतवास) पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 02 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(704)

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

उप/सहायक, पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	देवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	191/23-04-1954	1729/04-08-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिली	1310/30-03-2013	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, जिला देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. एस. बाल्के,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(705)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 2018-आषाढ़ 29 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई.**— जिला बालाघाट में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी.**— जिला रीवा व देवास में कहीं-कहीं पर बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति.**— . .
5. **कटाई.**— जिला सिवनी में फसल तुअर, धार में गेहूँ, चना एवं शाजापुर, इन्दौर, सीहोर, डिण्डोरी में फसल रबी की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई.**— जिला छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा.**— राज्य के 49 जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 फरवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, रई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, मैथी, धनिया समान हैं. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, चना अधिक. गेहूँ, मसूर समान. सरसों, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. *जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .		(2) . .		
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		चना, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		धनियां मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. *जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .		(2) . .		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, अलसी, मटर, बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ . . 2. पन्ना . . 3. गुन्नौर . . 4. पवई . . 5. रेपुरा . . 6. अमानगंज . . 7. देवेन्द्र नगर . . 8. सिमारिया . . 9. शाहनगर . .					
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना . . 2. खुरई . . 3. बण्डा . . 4. सागर . . 5. रेहली . . 6. देवरी . . 7. गढ़ाकोटा . . 8. राहतगढ़ . . 9. कंसली . . 10. मालथोन . . 11. शाहगढ़ . .	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा . . 2. बटियागढ़ . . 3. दमोह . . 4. पथरिया . . 5. जवेरा . . 6. तेन्दूखेड़ा . . 7. पटेरा . .					
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ कम. तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर . . 2. मझगवां . . 3. रामपुर-बघेलान . . 4. नागौद . . 5. उचेहरा . . 6. अमरपाटन . . 7. रामनगर . . 8. मैहर . . 9. कोठर . . 10. बिरसिंहपुर . .					
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर . . 2. सिरमौर . . 3. मऊगंज . . 4. हनुमना . . 5. हजूर . . 6. गुढ़ . . 7. मनगवां . . 8. सेमरिया . . 9. जवा . . 10. नईगढ़ी . . 11. रायपुरकर्चुलियान . .	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		राई-सरसों, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		जौ समान.		
4. बुढ़ार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		गेहूँ, चना-समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		मटर समान. तुअर, चना,	चारा पर्याप्त.	
3. चँदिया	. .		गेहूँ, कम.		
4. नौरोजाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		गेहूँ, मसूर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .		अलसी, राई-सरसों समान.		
4. माडा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान. गेहूँ, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. . .	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4.(1) चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) गन्ना समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) चना, गन्ना, अलसी अधिक. गेहूँ, राई-सरसों, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, चना, अलसी अधिक. तुअर, गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		गेहूँ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		चना अर्शित कम.	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) गेहूँ फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		चना फसल सुधरी हुई हैं.		
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागड	. .		मटर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों का कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, मसूर अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		समान. गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों, समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसों, समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, गन्ना, अधिक. गेहूँ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मसूर, राई-सरसों कम.		
3. सीहोरा	. .		(2) गेहूँ, सुधरी हुई है. शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) चना, मसूर, राई-सरसों, सुधरी हुई हैं.		
3. रीठी	. .		तुअर, गेहूँ समान हैं.		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4. (1) तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .		चना, गेहूँ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .		गेहूँ, मटर, लाख, तिबड़ा,	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	. .		राई-सरसों कम.		
4. निवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		मसूर, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .		(2) चना समान है. गेहूँ फसल	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		सुधरी हुई हैं.		
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		चना, मटर, मसूर, उड़द रबी,	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	. .		मूंग रबी समान.		
4. कवलारी	. .		लाख, तिबड़ा कम.		
5. लखनादोन	. .		गेहूँ, राई-सरसों अधिक.		
6. छपारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी धान फसल की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .	रोपाई कार्य चालू है.	4. (1) मौसम रबी की धान समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्वा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

नोट-: जिला शिवपुरी व टीकमगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

आर. पी. भारती,

संयुक्त आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(690)